



अनुलग्नक 4
(दिशानिर्देशों का पैरा 8.3)

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी)

प्रारूप का स्तर पुनर्विकास के अंतर्गत शामिल किए जा रहे लाभार्थी की सूचना

1. परिवार के मुखिया का नाम

2. लिंग [पुरुषः01, महिला:02, उभयलिंगी:03]

3. पिता का नाम

4. परिवार के मुखिया की आयु

5. वर्तमान पता और संपर्क व्यौरा

i. मकान सं.

ii. गली का नाम

iii. शहर

iv. गोबाइल संख्या

6. रस्ताई पता

i. मकान/फ्लैट/द्वार सं.

ii. गली का नाम

iii. शहर/गांव

iv. जिला, राज्य

7. आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध नहीं है तो

मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण—पत्र)

8. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु

परिवार के मुखिया से संबंध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण —पत्र

9. धर्म

[हिन्दू—01, मुस्लिम—02, इसाई—03, सिक्ख—04, जैन—05,
बौद्ध—06, पारसी—07, अन्य(उल्लेख करें)]

10. जाति

[सामान्य—01, अनुसूचित जाति—02,
अनुसूचित जनजाति—03, अन्य पिछड़ा वर्ग—04]

11. क्या विकलांग हैं (हाँ/नहीं)

12. वैवाहिक स्थिति

(विवाहित—01, अविवाहित—02, एकल महिला/विधवा—03)

13. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान/रिहायशी
भूमि है? (हाँ/नहीं)

क. यदि हाँ, तो स्थान का ब्यौरा दें। (बस्ती/ शहर/राज्य)

ख. यदि हाँ, तो वर्ग मीटर में भूमि का ब्यौरा दें।

14. विद्यमान आवास का स्वामित्व विवरण

(अपना—01, किराए का—02, अन्यथा—03)

15. परिवार की औसत मासिक आय (रुपए में)

घर के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

उपर्युक्त सूचना के शहरी रथानीय निकाय प्रभारी के
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर



प्रारूप ख – लाभार्थी से मांगी जाने वाली सूचना*

1. परिवार के मुखिया का नाम			
2. लिंग [पुरुष:01, महिला:02, उभयलिंगी:03]			
3. पिता का नाम			
4. परिवार के मुखिया की आयु			
5. वर्तमान पता और संपर्क व्यौरा			
i. मकान/फ्लैट/द्वार सं.			
ii. गली का नाम			
iii. शहर			
iv. मोबाइल संख्या			
6. रस्थाई पता			
i. मकान/फ्लैट/द्वार सं.			
ii. गली का नाम			
iii. शहर/गांव			
iv. ज़िला, राज्य			
7. मौजूदा मकान का मालिकाना व्यौरा [स्वामित्व – 01, किराया – 02, अन्य – 03]			
8. छत के आधार पर मकान का प्रकार [पक्का (सीमेट कंक्रीट और पत्थर वाला)–01, अर्द्ध-पक्का (सीमेट की चादर / स्टील की चादर, टाइल से बने हुए)–02, कच्चा (धास/छप्पर, तिरपाल, लकड़ी से बना)–03]			
9. रसोईघर को छोड़कर रिहायशी इकाई में कमरों की संख्या			
10. आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण—पत्र)			
11. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु			
परिवार के मुखिया से संबंध	लिंग	आयु	आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्राधिकारी से मकान स्वामित्व का प्रमाण—पत्र
12. धर्म			
[हिन्दू–01, मुस्लिम–02, इसाई–03, सिक्ख–04, जैन–05, बौद्ध– 06, पारसी–07, अन्य(उल्लेख करें)]			
13. जाति			
[सामान्य–01, अनुसूचित जाति–02, अनुसूचित जनजाति–03, अन्य पिछला वर्ग–04]			
14. बैंक का व्यौरा			
क. बैंक खाता संख्या			
ख. बैंक और शाखा का नाम			
ग. बैंक का आईएफएससी कोड			



<p>15. इस कस्बे/शहर में रहने की वर्षों में संख्या</p> <p>[0 से 1 वर्ष—01, 1 से 3 वर्ष—02, 3 से 5 वर्ष—03, 5 वर्ष से अधिक—04]</p>	<input type="text"/>
<p>16. मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार (कारपेट क्षेत्र—वर्ग मीटर में)</p>	<input type="text"/>
<p>17. क्या विकलांग हैं (हाँ/नहीं)</p>	<input type="text"/>
<p>18. वैवाहिक स्थिति</p> <p>(विवाहित—01, अविवाहित—02, एकल महिला/विधवा—03)</p>	<input type="text"/>
<p>19. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान/रिहायशी भूमि है? (हाँ/नहीं)</p> <p>ग. यदि हाँ, तो स्थान का व्यौरा दें। (वर्स्टी/ शहर/ राज्य)</p> <p>घ. यदि हाँ, तो वर्ग मीटर में भूमि का व्यौरा दें।</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>20. रोजगार की स्थिति</p> <p>(स्व—रोजगार — 01, वेतनभोगी — 02, नियमित मजदूरी— 03, मजदूर — 04, अन्य — 05)</p>	<input type="text"/>
<p>21. परिवार की औसत मासिक आय (रुपए में)</p>	<input type="text"/>
<p>22. क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है (हाँ / नहीं)</p> <p>क. यदि हाँ, बीपीएल कार्ड संख्या दें।</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>23. परिवार की आवास आवश्यकता</p> <p>(नया घर— 01, वृद्धि — 02)</p>	<input type="text"/>
<p>24. वृद्धि के मामले में कृपया अपेक्षित वृद्धि का उल्लेख करें।</p> <p>[एक कमरा/रसोई घर/स्नान घर/शौचालय अथवा ये सभी संयुक्त रूप से]</p>	<input type="text"/>
<p>25. मिशन के घटक की प्राथमिकता जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री</p> <p>आवास योजना — सबके लिए आवास (शहरी) के तहत लाभार्थी को सहायता की आवश्यकता है</p> <p>i. ऋण से जुड़ी सब्सिडी— 01</p> <p>ii. भागीदारी में किफायती आवास— 02</p> <p>iii. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/विस्तार— 03</p>	<input type="text"/>
<p>26. संक्षिप्त आवास सूची टीआईएन (एसईसीसी से)</p> <p>(क्या सहायता लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण / विस्तार के अंतर्गत है)</p>	<input type="text"/>
<p>परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान</p>	
<p>नोट: “अपात्र स्लम वासियों और उन स्लमों के लाभार्थियों के लिए ऐसे ही प्रारूप का उपयोग किया जायेगा जिनके लिए “सभी के लिए आवास कार्ययोजना” (एचएफएपीओए) रकीम के दिशानिर्देशों के पृष्ठ सं. 13 पर प्रधानमंत्री आवास योजना — सबके लिए आवास (शहरी) कार्य योजना के प्लॉ—चार्ट प्रक्रिया के अनुसार निजी भागीदारी के माध्यम से स्लम पुनर्विकास के लिए विचार नहीं किया गया है।</p>	
<p>उपर्युक्त सूचना के शहरी स्थानीय निकाय प्रभारी</p> <p>के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर</p>	